न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 20/2011 एल.आर.एक्ट

1. गोविन्दराम
2. पेमाराम
3. तोलाराम — पिसरान नेताराम जाति मेघवाल निवासी गैरसर
4. चोखाराम — तहसील व जिला बीकानेर ।
5. लेखराम
6. मोहनराम
7. सोना
8. श्रीमती भूरी पत्नी नेताराम जाति मेघवाल निवासी गैरसर तह0जि0बीकानेर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मु. जीतकौर बेवाह रुघाराम जाति मेघवाल निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।
2. श्रीमती रमली पुत्री पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी गैरसर तह.जि.बीकानेर ।
3. ग्राम पंचायत मालासर जरिये सरपंच ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 ।
3– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 5.2.2019

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 4.2.2011, जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सं0 55/2007 स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मालासर का आदेश दिनांक 20.6.07 जो इन्तकाल सं0 130 की पुश्त पर लिखा है, को निरस्त किया गया एवं मृतक रुघाराम के स्थान पर उसकी बेवा जीतकौर का नाम अंकित करते हुए अभिलेख आदिनांक करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गैरसर तहसील, बीकानेर के खसरा सं0 6, 386, 484/5, 572/399 कुल 4 खसरा में 22.36 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि अपीलान्ट सं0 1 ता 8 एवम् रेस्पोन्डेंट सं01 के पति स्व. रुघाराम के नाम से 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोन्डेंट सं02 रमली पुत्री पुरखाराम के नाम से 1/2 हिस्सा जाति मेघवंशी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । रेस्पोन्डेंट सं.01 के पति एवम् अपीलान्ट सं08 के पुत्र रुघाराम का दिनांक 22.8.2004 को देहान्त हो जाने पर मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 31.01.2007 एवम् वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 15.10.04 (ग्राम पंचायत मालासर) के आधार पर पटवारी हल्का मालासर द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 130 दिनांक 19.5.07 दर्ज कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ग्राम पंचायत की पाक्षिक मीटिंग दिनांक 20.6.07 में प्रस्तुत किया गया, जो सरपंच, ग्राम पंचायत, मालासर द्वारा मृतक रुघाराम के दो वारिस प्रमाण पत्र पेश होने एवं मूल वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा दर्ज विरास्तन इन्तकाल सं0 130 को आदेश दिनांक 20.6.07 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । सरपंच, ग्राम पंचायत मालासर के उक्त आदेश दिनांक 20.6.07 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 मु0. जीतकौर द्वारा उपखण्ड न्यायालय (उत्तर) बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील सं0 55/2007 अनवान जीतकौर बनाम गोविन्दराम वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 4.2.2011 द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मालासर का आदेश दिनांक 20.6.07 जो इन्तकाल सं0 130 की पुश्त पर लिखा है, को निरस्त कर दिया गया एवं मृतक रुघाराम के स्थान पर उसकी बेवा जीतकौर का नाम अंकित किया जाकर अभिलेख आदिनांक करने के आदेश दिये गये। उपखण्ड न्यायालय उत्तर, बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2011 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. इस न्यायालय में उक्त द्वितीय अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी किये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में अभिभाषक अपीलान्ट एवं अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.2.2011 पारित कर मृतक रुघाराम के स्थान पर अकेले रेस्पोन्डेंट नं01 जीतकौर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये हैं । जबकि स्वर्गीय रुघाराम की माता श्रीमती भूरी देवी अपीलान्ट सं.08 जीवित है और वह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक रुघाराम की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है । यह कि वादगत भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट सं02 रमली द्वारा वाद प्रस्तुत किया हुआ है तथा अपीलान्ट्स द्वारा भी न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उत्तर, बीकानेर में जेरकार है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 जीतकौर की अपील स्वीकार कर मृतक रुघाराम के स्थान पर उसका नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है । इसके अलावा जहां घोषणात्मक वाद भूमि के अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में चल रहे हैं तथा रेस्पोन्डेंट सं01 को दावे में पक्षकार बनाया गया है, वहां इन्तकाल से अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है । यह कि प्रकरण में ग्राम पंचायत मालासर द्वारा विरास्तन इन्तकाल सं0 130 को आदेश दिनांक 20.6.2007 द्वारा उचित ही अस्वीकृत किया गया है, क्योंकि रुघाराम की पत्नी जीतकौर (रेस्पोन्डेंट सं0 1) अकेले ही वारिस नहीं थी बल्कि रुघाराम की माता श्रीमती भूरी (अपीलान्ट सं08) भी उत्तराधिकारी होने के कारण रुघाराम की सम्पत्ति प्राप्त करने की हकदार है । इस सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं03 बीकानेर द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 जीतकौर एवं अपीलान्ट सं08 भूरीदेवी को मृतक रुघाराम को प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी मानते हुए डिग्री जारी की गयी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है । प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी थी, जो मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम पंचायत के आदेश की पुष्टि की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं02 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि ग्राम गैरसर तहसील बीकानेर के खसरा नं0 6, 386, 484/5, 572/399 कुल 4 खसरा में 22.36 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि में अपीलान्ट सं0 1 ता 8 एवं रेस्पोन्डेंट सं01 जीतकौर का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोन्डेंट सं02 रमली का 1/2 हिस्सा बनता है । यह कि पटवारी हल्का ने विरास्तन इन्तकाल सं0 130 के खाना नं0 9 में स्व. रुघाराम की वैद्य उत्तराधिकारी वारिस जीतकौर का नाम दर्ज करके ग्राम पंचायत में पेश किया गया है, जो सही है । प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत, गैरसर द्वारा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वारिसान की जांच किये बिना इन्तकाल इन्तकाल सं0 130 को खारिज करने का आदेश दिया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दरुस्त किया गया । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत मालासर के आदेश दिनांक 20.6.07 के विरुध्द रेस्पोन्डेंट सं01 मु0. जीतकौर द्वारा उपखण्ड न्यायालय (उत्तर) बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील सं0 55/2007 अनवान जीतकौर बनाम गोविन्दराम वगैरह प्रस्तुत की गयी, जो बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 4.2.2011 द्वारा प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मालासर का आदेश दिनांक 20.6.07 जो इन्तकाल सं0 130 की पुश्त पर लिखा है, को निरस्त कर दिया गया एवं मृतक रुघाराम के स्थान पर उसकी बेवा जीतकौर का नाम अंकित किया जाकर अभिलेख आदिनांक करने के आदेश दिये गये। उपखण्ड न्यायालय उत्तर, बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2011 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

7. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय, उत्तर, बीकानेर द्वारा प्रथम अपील सं. 55/2007 में अपीलाधीन आदेश 4.2.2011 न्यायालय ए.डी.जे. में दीवानी प्रकरण सं0 292/05 में पारित निर्णय दिनांक 15.2.08 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के आधार पर पारित किया गया है। हमने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं03 बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.2.08 एवम् उक्त निर्णय के आधार पर जारी मुआवजा डिग्री दिनांक 15.2.08 का अवलोकन किया । उक्त दावा बाबत मुआवजा राशि रेस्पोन्डेंट सं01 जीतकौर पत्नी रुघाराम एवं स्वर्गीय रुघाराम की माता श्रीमती भूरीदेवी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पारित की गयी डिग्री दिनांक 15.2.08 में रेस्पोन्डेंट सं01 जीतकौर एवं अपीलान्ट सं08 भूरीदेवी दोनों को मृतक रुघाराम की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी माना गया है । इसके अलावा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में भी माता एवम् पत्नी को प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी माना गया है, जबकि उपखण्ड न्यायालाय द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 जीतकौर पत्नी स्व.रुघाराम को ही वारिस मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गयाा है, जो नियमानुसार नहीं है ।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए उपखण्ड न्यायालय, उत्तर, बीकानेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.2.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं सबूत प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान कर मृतक रुघाराम के समस्त कानूनी वारिसान की जांच कर ग्राम गैरसर तहसील बीकानेर के खसरा नं0 6, 386, 484/5, 572/399 कुल 4 खसरा में 22.36 हैक्टेयर बारानी भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार पुनः विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया जावे ।

9- तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5.2.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर